FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराई (अजमेर)

• कालु पुत्र रामनाथ जाति जाट आयु बालिग निवासी सान्दोलिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.वगे।

–प्रार्थीगण

बनाम

• सांवरा पुत्र फूला जाति जाट निवासी सान्दोलिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान वगै.

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– 111,128 भू.राज.अधि.1956

नंबर **59** /2022

ऑनलाइन नंबर 2022/......60

वकील प्रार्थी अशोक शर्मा — वकील अप्रार्थीगण ......[illegible]............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.07.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.08.2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई	
05/8/2022	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। अप्रार्थीगणों के तामिलशुदा समन प्राप्त जो प्राप्त कि. अप्र [illegible] आये नहीं उप. नहीं। P.O. कार्यवाही हेतु बाहद पधारे पत्रावली दिनांक 23/9/2022 को पेश हो [signature]	
23/9/22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप.। वकील वादी [illegible] की [illegible] हेतु [illegible] पेश करने बाबत तलबी पत्रावली 11/11/22 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

125 पत्रावली पेश हुई आज........ [illegible] ....
.... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक .28/3/25:...को
पेश हो।

5 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील
वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। आदेश पृथक से तैयार कर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 59 / 2022 ::

1. कालू पुत्र रामनाथ जाति जाट
2. रामेश्वर पुत्र रामनाथ जाति जाट सर्वनिवासी ग्राम सांदोलिया तह0 अराई जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. सांवरा पुत्र फूला
2. भोलू पुत्र फूला
3. रूपचन्द पुत्र फूला
4. हरिराम पुत्र जमना
5. विश्राम पुत्र जमना
6. सत्यनारायण पुत्र जमना
7. उदा पुत्र भूरा
8. रतना पुत्र गणेश
9. रामदेव पुत्र गणेश
10. रोडू पुत्र रघुनाथ
11. मिदनी पत्नि तेजूराम
12. रूपचन्द दत्तक पुत्र काना
13. शांति पत्नि काना
14. रतना पुत्र चतरा
15. राजी देवी पत्नि सुगनलाल
16. रामनिवास पुत्र सुगनलाल
17. रामकन्या पुत्री सुगनलाल
18. लाली देवी पुत्री सुगनलाल
19. सीता पुत्री सुगनलाल
20. गीता पुत्री सुगनलाल
21. भंवरलाल पुत्र मोहन
22. रूपचन्द जाट पुत्र फूला
23. संतरा पत्नि काना
24. नोरती पत्नि भोलू
25. कमलेश पुत्री अमराराम
26. कैलाश पुत्र अमराराम
27. कालू पुत्र अमराराम
28. सुप्यार पत्नि अमराराम
29. मदना पुत्र घीसा
30. रामदयाल पुत्र घीसा (फौत)

30(1) सुखपाल पुत्र रामदयाल

30(2) गोपाल पुत्र रामदयाल

31. रामधन पुत्र चन्दा

सर्वजाति जाटसर्वनिवासीगण ग्राम सांदोलिया तह0 अराई जिला अजमेर राज0

32. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अराई अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व
अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 28.03.2025

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी कालू पुत्र रामनाथ जाति जाट तथा रामेश्वर पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी सांदोलिया तह0 अराई ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 17.7.2022 को माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज रजिस्टर क्रमांक 59/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। 5.8.2022 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगणों की और से कोई उपस्थित नहीं होने से दिनांक 21.6.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 29, 30/1, 30/2 व 31,32 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं सयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम सांदोलिया पटवार हल्का सांदोलिया भू0अ0नि0 क्षेत्र लाम्बा तह0 अराई में स्थित है जिसकी खाता संख्या नया 35 के खसरा संख्या 1232/83 रकबा 0.2184 है0, खसरा संख्या 86 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा संख्या 92 रकबा 0.8737 है0 है । तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में मानचित्र के अनुसार ही काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भुमि से किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। यह है कि प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भुमि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर ,दक्षिण (चारो दिशाओ) में अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 31 की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है तथा प्राथीगण की खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीगण ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन सींव, मेड, (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है इससे प्रार्थीगण काफी परेशान है । इस कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1232/83,86,92 की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अन्यथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणो में विवाद बढ सकता है । इसीलिये यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के जरिये वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खाता संख्या नया 35 के खसरा संख्या 1232/83 रकबा 0.2184 है0, खसरा संख्या 86 रकबा 0.2184 हैक्टेयर खसरा संख्या 92 रकबा 0.8737 है0 वाके ग्राम सांदोलिया पटवार हल्का सांदोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान की भुमि पर राजस्व रिकार्ड अनुसार तहसीलदार सा. की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करावे।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम सांदोलिया पटवार हल्का सांदोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा तहसील अरांई खसरा संख्या 1232/83 रकबा 0.2184 है0, खसरा संख्या 86 रकबा 0.2184 हैक्टेयर खसरा संख्या 92 रकबा 0.8737 है0 वाके ग्राम सांदोलिया पटवार हल्का सांदोलिया गिरदावर हल्का लाम्बा में स्थित है उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया वादी की बहस सुनी गई। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सांदोलिया पटवार हल्का सांदोलिया गिरदारवर हल्का लाम्बा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1232/83 रकबा 0.2184 है0, खसरा संख्या 86 रकबा 0.2184 हैक्टेयर खसरा संख्या 92 रकबा 0.8737 है0 भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28/3/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)
अरांई (अजमेर)